24-1-18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । वकील अपीलान्ट को एकपक्षीय सुना गया ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 3 की नायब तहसीलदार के यहां शिकायत की कि भूमि खसरा नं0 171 रकबा 0.19 हैक्टर गै0मु0 रास्ता ग्राम अजीतगढ की भूमि 150 वर्गमीटर पर रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 3 ने मकान दीवार बनाकर सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया । इस पर नायब तहसीलदार मण्डावा ने पटवारी से रिपोर्ट लेकर राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत कार्यवाही करते हुये अतिक्रमी रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्ध जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिसमें अपील स्वीकार कर प्रकरण इन्हे सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुन: निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया जिस पर पुन: प्रकरण दर्ज कर सुनवाई करते हुये रेस्पोंडेन्ट सं0-1 से 3 के विरूद्ध धारा-91 की कार्यवाही ड्रोप कर दी जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिन्होने अपीलान्ट की अपील खारिज कर नायब तहसीलदार मण्डावा का निर्णय पुष्ट कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई।

अदालत मातहत ने रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 3 को बिना मौके की जांच किये आदेश पारित किया है जबकि नायब तहसीलदार को वर्तमान शीट व सर्वे शीट में नपती के अनुसार निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने मौके की कोई नपती की कार्यवाही नहीं की ।जबकि नपती की टीम ने रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 3 को 3 मीटर चौडा व 45 मीटर लम्बा अतिक्रमी बताया था । किन्तु अदालत मातहत ने इस रिपोर्ट का गलत अर्थ निकालते हुये आदेश

17/2017 प्रभाकर-- हरिराम

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| | मौके की नपती के अनुसार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे । | |

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 22-6-2017 एवं विद्वान नायब तहसीलदार मण्डावा का निर्णय दिनांक 26-10-2016 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में मौके की जांच करवा कर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 5-3-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सुनाया गया ।

24/1/18

§भंवरलाल मेहरड़ा§
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर